नगर पालिका यूटिलिटी सेवाएं

1. गृहकर (हाउस टैक्स)

यू0पी0 म्यूनिस्पिलिटी एक्ट 1916 की धारा 140 नगर पालिका बाइलाज नोटिफिकेशन 1070 III 2 (59–60) 28 जुलाई 1950 के अनुसार नगर पालिका का गृहकर निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत गृहकर व उतना ही जलकर लगाया जाता है। नगर पालिका में जो गृहकर व जलकर का निर्धारण किया गया वे निम्न प्रकार गृहकर जलकर लगाया गया है–

1. जिन मकानों में किरायेदारी है उस पर टैक्स किराये के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर 10 प्रतिशत गृहकर व उतना ही जलकर टैक्स लगाया जाता है।
2. जिन मकानों में किरायेदार नही है या किरायेदारी का पता नही चल पाता है उन मकानों पर टैक्स शासनादेश संख्या 16/09.09.2003 – 79 जी/97 के द्वारा नगर पालिका परिषद के लिये गृहकर जलकर लगाये जाने हेतु दरें निर्धारित की गई है इन्ही दोंनो आधारों को मानकर गृहकर जलकर लगाया जाता है।
3. जिन मकानों का वार्षिक मूल्यांकन 36 प्रतिशत से कम है उनका टैक्स क्षमा कर दिया गया है।
4. पंचवर्षीय कर निर्धारण में मकानों की सूची बन जाने के बाद इस पर उपरोक्त नियम के अनुसार टैक्स कमेटी द्वारा कर निर्धारित किया जाता है। इसके बाद कमेटी द्वारा टैक्स लगाये जाने की स्वीकृत हेतु इसे बोर्ड /प्रशासक के स्वीकृत हेतु रखा जाता है। स्वीकृत के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाती है।
5. प्रशासक/बोर्ड द्वारा स्वीकृत के पश्चात धारा 142 में इसका प्रकाशन कराया जाता है और धारा 143 की नोटिस द्वारा कर दाताओं को सूचित किया जाता है।
6. 143 की नोटिस व प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर कर दाताओं से आपत्तियां आमंत्रित की जाती है।
7. इन आपत्तियों की सुनवाई बोर्ड द्वारा गठित तीन सदस्यों की गठित समिति के समक्ष पालिका अधिनियम 1916 की धारा 143/37 के तहत सुनवाई कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाता हैं
8. किसी तरह का टैक्स में गड़बड़ न हो इसके लिए एक समिति का गठन शासन स्तर पर किया गया है। किसी तरह की शिकायत होने पर उसकी सुनवाई गठित कमेटी द्वारा की जायेगी।

2. प्रापर्टी टैक्स

इस जनपद में किसी भी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में प्रापर्टी टैक्स नहीं लगता है।